v/;k;-VI
vU; dj ,oa djsrj izkfIr;k

¼v½ Hkw&rRo ,oa [kfudeZ foHkkx

6-1 dj iz'kklu

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण एवं उदग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 से अधिनियमित होता है। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

6-2 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 912.52 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 में भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बन्धित 36 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 471.38 करोड़ के रायल्टी, शास्ति एवं ब्याज का कम/न वसूल किये जाने एवं अन्य अनियमितताओं के 208 मामलें प्रकाश में आये जैसाकि lkj.kh 6-1 में दर्शाये गयें है।

lkj.kh 6-1
ys[kkijh{kk dk ifj.kke

			(₹ djksM+ esa)
dz0 la0	Js.kh	ekeyksa dh la[;k	/kujkf'k
1.	खनन योजना का उल्लंघन	1	259.36
2.	रायल्टी की वसूली न किया जाना	41	5.65
3.	पट्टा विलेख निबन्धित न कराये जाने से राजस्व की वसूली का न होना	7	39.24
4.	अर्थदण्ड का अनारोपण	25	15.09
5.	खनिजों के मूल्य का न वसूला जाना	45	119.70
6.	अभिवहन शुल्क का अनारोपण	2	0.47
7.	अन्य अनियमिततायें	87	31.88
	;ksx	208	471-39

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं।

वर्ष के दौरान विभाग ने न तो कोई मामला स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। कुछ निदर्शी मामले जिसमें ₹ 364.25 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्न प्रस्तरों में की गयी हैं।

6-3 ys[kkijh{kk vkifRr;k

भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में रायल्टी एवं ब्याज की वसूली नहीं/कम किए जाने, आवेदन शुल्क एवं दण्ड का अनारोपण, अवैध खनन पर खनिज मूल्य का न/कम आरोपण, अप्राधिकृत विदोहन, शासकीय आदेशों का अधिनियमों/नियमों में अनुरूपता न होना, आदि के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6-4 [kuu ;kstuk dk mYya?ku

खनिज गैर नवीकरणीय तथा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं। उनका दोहन दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों और यर्थाथ आयोजना द्वारा निर्देशित है। खनिजों का दोहन एवं विकास

अर्थव्यवस्था के विकास एवं आस पास के रहने वाले निवासियों के उत्थान से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब यह पर्यावरण और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है तो संरक्षण एवं विकास के मध्य सद्भाव और सन्तुलन बनाये रखा जाता है।

पत्थर एवं बालू के पट्टों के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म द्वारा पूर्व अनुमोदित खनन योजना अथवा खनन पट्टों के संचालन के दौरान संशोधित खनन योजना, जिनमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, के अनुरूप होना आवश्यक है। खनन योजना खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, और उसके अधीन बनाई गयी खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पंजीकृत एक मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है।

राज्य में खनन से प्राप्तियों का आरोपण और संग्रह खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 से नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव भू–तत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक प्रमुख हैं। भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन, निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है।

उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में से केवल 10 जिलों[1] में पत्थर एवं बालू दोनों प्रकार के खनिजों के पट्टे हैं। हमनें इन दस जिलों में से आठ[2] जिलों को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया। विभाग द्वारा खनन योजना के अनुमोदन एवं इसके कार्यान्वयन में अधिनियम व नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था, यह देखने के लिये हमने खनन पट्टों का परीक्षण किया। लेखापरीक्षा माह जुलाई 2014 में आयोजित किया गया था और लेखा परीक्षित अवधि 2011–12 से 2013–14 थी। स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये प्रकरणों को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। प्रारम्भिक विचार गोष्ठी एवं समापन विचार गोष्ठी विभाग के साथ क्रमशः 8 जुलाई 2014 व 2 सितम्बर 2014 को आयोजित की गयी। हमनें संचालित 1,319 खनन पट्टों (1,270 पत्थर के पट्टे व 49 बालू के पट्टे) में से 239 पट्टों की नमूना जाँच की और हमारे निष्कर्षों का विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

6-4-1 vukf/kdr mR[kuu

6-4-1-1 fcuk [kuu ;kstuk ds mi [kfutksa dk mR[kuu

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 यथा संशोधित के नियम 34(2) के अनुसार स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मौरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। नियम 34(3) के अनुसार उपनियम 2 मे अभिदिष्ट खनन योजना खनिज परिहार नियमावली 1960 के उपबन्धों के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा तैयार की जायेगी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 22–क में प्रावधान है कि खनन संक्रियाएँ विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिए और खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना में संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन भी अपेक्षित है।

खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत जब कभी कोई व्यक्ति विधिसम्मत प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी

[1] आगरा, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

[2] बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

भूमि से हटायेगा, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे उठाये गये खनिज या जहाँ ऐसा खनिज पूर्व में ही हटाया गया है, रायल्टी के साथ खनिज मूल्य वसूल कर सकती है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21(2) के अन्तर्गत रायल्टी खनिमुख मूल्य का अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से निर्धारित है।

- iRFkj dk iV~Vk

हमने पाँच जिला खान कार्यालयों के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच में पाया (जुलाई 2013 से जुलाई 2014 के दौरान) कि 195 प्रकरणों में से 40 प्रकरणों में पट्टेदारों ने जनवरी 2005 से मार्च 2014 के दौरान 9.64 लाख घनमीटर उप खनिजों का बिना खनन योजना के उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 8.12 करोड़ रायल्टी के रूप मे भुगतान किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 40.61 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य थी। यद्यपि पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के उपखनिज का उत्खनन किया गया तथापि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) और ख0प0 नियमावली के नियम 22—क के प्रावधानों के उल्लंघन कर जिला खान अधिकारियों द्वारा एम0एम0—11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया। परिणामस्वरूप **ifjf'k"V XXV** के अनुसार खनिज मूल्य का ₹ 40.61 करोड़ अनारोपित रहा।

- ckyw dk iV~Vk

हमने सात जिला खान कार्यालयों के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की नमूना जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि सभी 44 प्रकरणों में पट्टेदारों ने अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान 24.46 लाख घनमीटर बालू/मोरम का बिना खनन योजना के उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 18.27 करोड़ रायल्टी के रूप मे भुगतान किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 91.34 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य थी। यद्यपि पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के उपखनिज का उत्खनन किया गया तथापि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) और ख0प0 नियमावली के नियम 22—क के प्रावधानों के उल्लंघन कर जिला खान अधिकारियों द्वारा एम0एम0—11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया। परिणामस्वरूप **ifjf'k"V XXVI** के अनुसार खनिज मूल्य का ₹ 91.34 करोड़ अनारोपित रहा।

हमने मामलें को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने बिना खनन योजना के उप खनिजों के उत्खनन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (सितम्बर 2014) कि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। विभाग ने आगे बताया कि खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम का अनुच्छेद 21(5) उन प्रकरणों में लागू नहीं है जहाँ किसी पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के खनन संक्रिया की गयी है। बिना खनन योजना के खनन संक्रिया करने वाले पट्टेदारों पर शास्ति के आरोपण सम्बन्धी उपबन्धों को नियमावली में शामिल करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन संक्रिया वैध प्राधिकार के बिना है और इसलिये खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम के अनुच्छेद 21(5) के अन्तर्गत खुदाई किये गये खनिज का मूल्य वसूली योग्य है।

6-4-1-2 [kuu ;kstuk dk uohdj.k dk fcuk [kfutksa dk mR[kuu

हमने छः जिला खान अधिकारियों के कार्यालय के खनन पट्टा पत्रावली और खनन योजनाओं की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि कुल 195 प्रकरणों में से 39 प्रकरणों में

पट्टेदारों ने अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के मध्य 15.59 लाख घनमीटर गिट्टी/मोरम का खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उत्खनन किया जिस पर पट्टेदारों ने ₹ 13.40 करोड़ रायल्टी के रूप मे भुगतान किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 66.98 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य था। यद्यपि पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के नवीनीकरण के उपखनिज का उत्खनन किया गया तथापि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) और ख0प0 नियमावली के नियम 22–क के प्रावधानों के उल्लंघन कर जिला खान अधिकारियों द्वारा एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत करते हुए उपखनिज का उत्खनन अनुमन्य किया गया। परिणामस्वरूप ifjf'k"V **XXVII** के अनुसार खनिज मूल्य का ₹ 66.98 करोड़ अनारोपित रहा।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने बिना खनन योजना के नवीनीकरण के बिना उप खनिजों के उत्खनन के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (सितम्बर 2014) कि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। विभाग ने आगे बताया कि खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम का अनुच्छेद 21(5) उन प्रकरणों में लागू नहीं है जहाँ किसी पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के खनन संक्रिया की गयी है। बिना खनन योजना के खनन संक्रिया करने वाले पट्टेदारों पर शास्ति के आरोपण सम्बन्धी उपबन्धों को नियमावली में शामिल करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन संक्रिया वैध प्राधिकार के बिना है और इसलिये खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम के अनुच्छेद 21(5) के अन्तर्गत खुदाई किये गये खनिज का मूल्य वसूली योग्य है।

6-4-1-3 vfrfjfDr mR[kuu

हमने छः जिला खान कार्यालयों के खनन पट्टा पत्रावलियों और खनन योजनाओं की जाँच में पाया (जुलाई 2013 से जुलाई 2014 के दौरान) कि कुल 195 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में पट्टेदारों ने फरवरी 2010 से मार्च 2014 के मध्य 9.06 लाख घनमीटर गिट्टी/बोल्डर/ग्रेनाइट ब्लाक/ग्रेनाइट खण्डा/पटिया का स्वीकृत खनन योजना में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का उत्खनन किया। इस प्रकार पट्टेदारों द्वारा खनिज का उत्खनन अनाधिकृत था और खनिज मूल्य ₹ 46.81 करोड़ की धनराशि पट्टेदारों से वसूली योग्य था। इस अवधि में नियमित रूप से अतिरिक्त उत्खनन प्रदर्शित करने वाले अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद जिला खान अधिकारियों द्वारा पट्टेदारों के विरुद्ध खनन योजना के सापेक्ष खनिजों के अतिरिक्त उत्खनन के लिये न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही ifjf'k"V **XXVIII** के विवरण के अनुसार अतिरिक्त उत्खनित खनिज का मूल्य ₹ 46.81 करोड़ वसूल करने की कार्यवाही की गयी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने खनन योजना के उल्लघंन के प्रकरण के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुये बताया (सितम्बर 2014) कि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 34(2) के उल्लंघन के कारण पट्टेदारों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। विभाग ने आगे बताया कि खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम का अनुच्छेद 21(5) उन प्रकरणों में लागू नहीं है जहाँ किसी पट्टेदारों द्वारा बिना खनन योजना के खनन संक्रिया की गयी है। बिना खनन योजना के खनन संक्रिया करने वाले पट्टेदारों पर शास्ति के आरोपण सम्बन्धी उपबन्धों को नियमावली में शामिल करने हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि बिना अनुमोदित खनन योजना के खनन संक्रिया वैध प्राधिकार के बिना है और इसलिये खान एवं खनिज विनिमय एवं विकास अधिनियम के अनुच्छेद 21(5) के अन्तर्गत खुदाई किये गये खनिज का मूल्य वसूली योग्य है।

6-4-1-4 vo/k mR[kuu

हमने जिला खान कार्यालय झांसी के खनन पट्टा पत्रावली की जाँच में पाया (जुलाई 2013) कि एक पट्टेदार ने प्रथम खनन योजना जनवरी 2004 एवं द्वितीय खनन योजना 2010 में प्रस्तुत की। प्रथम खनन योजना में खनन योग्य संरक्षित खनिज 2,05,056 घन मीटर होना बताया गया था और द्वितीय खनन योजना में उसी खान में खनन योग्य संरक्षित खनिज 90,104 घन मीटर दर्शाया गया था। यह इंगित करता है कि पट्टेदार द्वारा जनवरी 2004 से फरवरी 2010 के मध्य 1,11,952 घन मीटर गिट्टी का खनन किया गया जिसमें से 88,265 घन मीटर गिट्टी वैध रूप में उत्खनित की गयी जिसके लिये विभाग द्वारा एम0एम0–11 परिवहन पास के 5,580 पर्ण निर्गत किये गये। इस प्रकार पट्टेदार ने बिना एम0एम0–11 पर्ण के और बिना रायल्टी जमा किये 26,687 घन मीटर (1,14,952–88,265) गिट्टी उत्खनित किया।

खनन योग्य संरक्षित खनिज की मात्रा का उल्लेख दोनो ही खनन योजनाओं में किया गया था और सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के पास वही खनन योजनायें तथा उस अवधि के दौरान वास्तविक उत्खनित मात्रा के साथ उपलब्ध थीं। परन्तु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी ने दोनो खनन योजनाओं का परस्पर मिलान नहीं किया जिससे यह अवैध खनन लेखापरीक्षा तक प्रकाश में नहीं आया। इस प्रकार पट्टेदार द्वारा खनिजों का उत्खनन अनाधिकृत था और पट्टेदार से ₹ 68 प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी ₹ 18.15 लाख और उत्खनित खनिज का खनिज मूल्य ₹ 90.74 लाख वसूली योग्य था। जिला खान अधिकारी ने विधिसम्मत कार्यवाही का आश्वासन दिया।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 से जनवरी 2014 के मध्य)। कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ (दिसम्बर 2014)।

6-4-2 =ekfld foojf.k;k¡ ¼,e0,e0&12½ dk izLrqr u fd;k tkuk

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 73(1) के अन्तर्गत पट्टेदारों को जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में पूर्ववर्ती त्रैमास के लिये जिला खान अधिकारी को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा। यह खनन योजना में प्रदर्शित अनुमन्य मात्रा के विरुद्ध उत्खनन की गयी मात्रा की तुलना कर नियंत्रण करने का मुख्य साधन है। नियम 73(2) के अनुसार जब कभी कोई खनिज परिहार धारक उपनियम (1) में निर्धारित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह ₹ 2,000 शास्ति के लिये उत्तरदायी होगा जैसा कि अधिसूचना सं0 7338/86–2011–183/2011 लखनऊ दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा संशोधित किया गया।

हमने बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के जिला खान कार्यालयों के पट्टा धारकों की पत्रावलियों की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि जनवरी 2012 से मार्च 2014 के दौरान 66 पट्टा धारकों द्वारा 467 त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। विभाग ने इन दोषियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की और शास्ति के ₹ 9.34 लाख वसूल नहीं किये।

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत एम0एम0–12 में त्रैमास के दौरान खनिजों की उत्खनित मात्रा अंकित होती है। यह खनन योजना में प्रदर्शित अनुमन्य मात्रा के विरुद्ध उत्खनित की गयी मात्रा जिसके लिये एम0एम0–11 निर्गत किये गये हैं, की तुलना कर नियंत्रण करने का मुख्य हथियार है और इस प्रकार प्रभावी निगरानी के लिये महत्वपूर्ण है।

इसके अभाव में पट्टेदार द्वारा त्रैमास के दौरान खुदाई की वास्तविक एवं परिवहित मात्रा से विभाग अनजान रहा।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने हमारे आपत्तियों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को जिन पट्टेदारों ने नियम 73(2) के अन्तर्गत त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये, से शास्ति वसूलने के लिये पत्र भेज दिया गया है।

6-4-3 i;kZoj.k vf/kfu;e dk vuqikyu ugha fd;k tkuk

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार जो भी इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों या दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने में या पालन करने में विफल रहता है, वह ऐसे प्रत्येक विफलता या उल्लंघन के सम्बन्ध में एक अवधि तक कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने की धनराशि जो एक लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनो से दण्डनीय होगा और यदि इस तरह की विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने जो पांच हजार रुपये प्रतिदिन, नयी विफलता या उल्लंघन के लिये दोष सिद्ध होने के बाद इस प्रकार की विफलता या उल्लंघन जारी रहने के दौरान के लिये हो सकता है। खनन योजना न केवल नियोजित और वैज्ञानिक खनन के लिये बल्कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये भी आवश्यक है। आदेश सं0 1483(1)/14–2–08–65/2008–टी0 सी0 दिनांक 4 जून 2008 के द्वारा शासन ने खनन पट्टे में वृक्षारोपण की शर्त जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। इस शर्त के अनुसार खनन पट्टाधारक एक एकड़ अथवा अधिक क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है वह अपने खर्च पर प्रति एकड़ 200 वृक्ष लगायेगा।

हमने बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर एवं सोनभद्र के आठ जिला खान कार्यालयों के पट्टाधारकों की पत्रावली की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के मध्य 1,270 पट्टाधारकों द्वारा पत्थर/गिट्टी/बोल्डर/ग्रेनाइट आदि का खनन किया गया। पट्टे की शर्त के अनुसार वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य था। 1,270 पट्टाधारकों में से केवल 26 पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण कार्य किये जाने के अभिलेखीय साक्ष्य मिले और शेष 1,244 पट्टाधारको के प्रकरण में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अभिलेखों में नहीं मिले। जिला खान अधिकारियों ने पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण करना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने न तो इन खनन संक्रियाओं को बन्द कराया और न ही आवश्यक शास्ति का आरोपण किया। उल्लंघन के लिये न्यूनतम एक लाख रुपये प्रति पट्टाधारक पर जुमाने से ₹ 12.44 करोड़ भी आरोपित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उल्लंघन के दौरान अतिरिक्त जुर्माना जो ₹ 5,000 प्रति दिन तक हो सकता है, भी आरोपणीय है।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बारे में वन विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जाता है। खनन क्षेत्रों के पास वृक्षारोपण के लिये उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण वृक्षारोपण सम्भव नहीं है। खान तथा खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960 और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 में वृक्षारोपण न करने के लिये ₹ एक लाख आरोपित करने हेतु प्रावधान नहीं है। हम सहमत नहीं है क्योंकि शासन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुपालन के लिये खनन पट्टों में वृक्षारोपण के लिये शासनादेश सं0 1483(1)/14–2–08–65/2008–टी0सी0–3 दिनांक 4 जून 2008 को निर्गत किया है।

6-4-4 [kuu ;ktuk d dk;kUo;u dk vuJo.k ,o fuxjkuh dju d fy; r= dk vHkko

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 34(2) के अनुसार स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप और बालू अथवा मौरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो और नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें निदेशक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी।

आदेश दिनांक 14 सितम्बर 1964 जो कि वर्तमान में लागू है, के अनुसार निदेशक भू–तत्व एवं खनिकर्म, जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग का स्वयं या अपने वरिष्ठ भू वैज्ञानिक द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण करेगा और शासन को त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा। निदेशक भू–तत्व एवं खनिकर्म ने दिनांक 17 जून 2009 को एक कार्यालय आदेश जारी किया कि नियम 34, 35, 36, 37 एवं 38 के अनुपालन में एक त्रैमास में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पट्टे का कम से कम एक स्थल निरीक्षण करेगा जिस में निम्नलिखित तथ्यों को देखना आवश्यक होगा

- पट्टे का क्षेत्र का सीमांकन उचित है कि नहीं।
- स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप की खनन संक्रिया अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप है या नहीं।
- खनन संक्रियायें दक्ष श्रमिक की तरह की जा रहीं है।
- खनन संक्रिया में सुरक्षा मानक उपलब्ध हैं अथवा नहीं।

इन बिन्दुओं को समावेश करते हुये एक आख्या तैयार करके पट्टाधारक की पत्रावली में रखी जानी चाहिये और इस प्रकार के निरीक्षणों की एक संकलित सूचना निदेशालय में प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

हमने बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर और सोनभद्र के आठ जिला खान कार्यालयों के पट्टाधारकों की पत्रावली की जाँच में पाया (जुलाई 2014) कि उक्त आदेशों में निर्धारित त्रैमासिक निरीक्षण के सम्बन्ध में किसी अभिलेख का रखरखाव इन कार्यालयों में नहीं किया गया था। इस प्रकार लेखापरीक्षा यह पता लगााने में असमर्थ रही कि नियमों के अनुपालन में निरीक्षण किये गये हैं अथवा नहीं।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2014)। विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि जिला खान अधिकारियों और खनन निरीक्षकों द्वारा समय समय पर अपेक्षित निरीक्षण किये जाते है और यदि कोई कमी पायी जाती है तो तद्नुसार सुधार के लिये निर्देश दिये जाते है। फिर भी उक्त इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान तथ्य यही रहा कि इस प्रकार के निर्देशों के सम्बन्ध में अभिलेखों में हमे कुछ नही मिला।

6-4-5 vkUrfjd y[kkijh{kk

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भली भांति कार्य कर रहा हैं।

विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की संगठनात्कम ढाँचा और इसके लिये नियुक्त कर्मचारियों का विवरण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा किस वर्ष से स्थापित है, यह भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा के लिये आयोजित इकाइयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण lkj.kh 6-2 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 6-2
vkUrfjd y[kkijh{kk ¼y[kkijh{kk vk;kstuk½

o"k	vkUrfjd y[kkijh{kk gsrq miyC/k dqy bdkb;ksa dh la[;k	vkUrfjd y[kkijh{kk gsrq vk;ksftr bdkb;ksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku y[kkijhf{kr bdkb;ksa dh la[;k	deh	deh dh izfr'krrk
2009–10	31	31	28	3	9.68
2010–11	31	31	26	5	16.13
2011–12	31	31	29	2	6.45
2012–13	31	30	12	18	60.00
2013–14	31	30	14	16	53.33

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

यह प्रदर्शित करता है कि लेखापरीक्षा की योजना यथार्थवादी नहीं है क्योंकि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान कमी 6.45 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत तक हुयी। कमी के कारणों को विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा और उठाई गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि और वर्ष के दौरान निस्तारण lkj.kh 6-3 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 6-3
vkUrfjd y[kkijh{kk ¼y[kkijh{kk vkifRr;k½

¼₹ djksM+ esa½

o"k	izkjfEHkd vo'ks"k		o"kZ ds nkSjku of)		o"kZ ds nkSjku fuLrkj.k		vfUre vo'ks"k	
	izdj.kksa dh la0	lfUufgr /kujkf'k	izdj.kksa dh la0	lfUufgr /kujkf'k	izdj.kksa dh la0	lfUufgr /kujkf'k	izdj.kksa dh la0	lfUufgr /kujkf'k
2009–10	1,187	45.69	93	8.72	118	3.27	1,162	51.14
2010–11	1,157	51.15	65	5.15	6	0.87	1,216	55.43
2011–12	1,216	55.43	82	10.87	5	2.55	1,293	63.75
2012–13	1,293	63.75	41	4.44	8	3.16	1,326	65.03
2013–14	1,326	65.03	38	7.39	0	0.62	1,364	71.80

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना।

वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर ₹ 62.00 लाख की वसूली की गयी थी। यह प्रदर्शित करता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के विरुद्ध विभाग द्वारा किया गया निस्तारण बहुत कम है।

जब हमने पूछा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान खनन योजना में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की गयी है अथवा नहीं तो विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि सिफारिश के अनुसार, उचित कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

6-4-6 fu"d"kZ ,oa laLrqfr;k¡

लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नलिखित देखा–

- उप खनिजों का दोहन खनन योजना के अनुसार नहीं किया गया। 195 पट्टों की जाँच के दौरान हमने पाया कि 40 प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा खनन योजना स्वीकृत कराये बिना खनिजों का उत्खनन किया गया, 39 प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा खनन योजना नवीनीकृत कराये बिना खनिजों का उत्खनन किया गया और 18 प्रकरणों में पट्टेदारों द्वारा खनन योजना में स्वीकृत मात्रा से अधिक मात्रा में खनिजों का उत्खनन किया गया।
- दो लगातार खनन योजनाओं में दर्शाये गये खनन योग्य संरक्षित खनिज की मात्रा के साथ दोनो खनन योजनाओं के मध्य वास्तविक खुदाई की मात्रा सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के पास उपलब्ध थी। दो लगातार खनन योजनाओं में खनन योग्य संरक्षित खनिज की मात्रा का अंतर उस मात्रा से अधिक था जिस मात्रा के लिये रायल्टी का भुगतान किया गया था। लेकिन सम्बन्धित जिला खान अधिकारी ने तथ्यों की जाँच पड़ताल नहीं की जिससे अनाधिकृत खुदाई का लेखापरीक्षा तक पता नहीं चल पाया।

- अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लिखित वृक्षारोपण की शर्त का पालन नहीं किया गया जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1,270 पट्टाधारकों मे से केवल 26 पट्टाधारकों द्वारा वृक्षारोपण किया जाना अभिलेखों में उपलब्ध है।
- पट्टों के त्रैमासिक निरीक्षण के सम्बन्ध में अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जिससे लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि निरीक्षण किये गये हैं।

ge fuEufyf[kr lLrfr djrs g&

- mi [kfutks ds mR[kuu dh vuqefr dsoy [kuu ;kstuk ds vuqeksnu ds i'pkr gh nh tkuh pkfg;s vkSj [kfutksa dk nkgu vuqekfnr [kuu ;kstuk ds vuqlkj gh fd;s tkus dh vuqefr iznku dh tkuh pkfg;sA
- nks [kuu ;kstukvksa ds e/; vukf/kd`r :i ls mR[kfur ek=k Kkr djus ds fy;s nks [kuu ;kstukvksa esa mfYyf[kr [kuu ;kX; lajf{kr [kfut ds vUrj dh rqyuk mlls ek=k ls dh tkuh pkfg;s ftl ek=k dh jk;YVh tek dh x;h gSA
- ofj"B Hkw oSKkfud] ftyk [kku vf/kdkjh vkSj [kuu fujh{kd }kjk iV~Vksa ds =Sekfld fujh{k.k lEcU/kh vfHkys[k vkSj mudh vk[;k dk j[k j[kko fd;k tkuk pkfg;sA fu"d"kksZa dh ,d fjiksVZ funs'kd] Hkw&rRo ,oa [kfude dks Hkh izLrqr dh tkuh pkfg;sA
- vkUrfjd ys[kkijh{kk 'kk[kk dks lqn`<+ fd;k tkuk pkfg;s vkSj blds }kjk bfxr dh x;h vfu;ferrkvksa dk fuLrkj.k izkFkfedrk ds vk/kkj ij fd;k tkuk pkfg;sA

6-5 njksa dks la'kksf/kr u fd;k tkuk

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 21 के अनुसार रायल्टी समय समय पर संशोधित दर के आधार पर देय होगी। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी और अपरिहार्य भाटक की दरों में दिनांक 2 नवम्बर 2012 को जारी शासनादेश सं0 2974/86–2012–200/77 टी0सी0।। लखनऊ द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2012 से संशोधन कर दिया गया है।

6-5-1 bZV cukus dh feV~Vh ij jk;YVh dk de vkjksi.k

ईंट बनाने की मिट्टी के लिये दिनांक 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी रायल्टी की दर ₹ 18 प्रति हजार से ₹ 27 प्रति हजार संशोधित कर दिया गया था।

हमने इलाहाबाद और हरदोई के जिला खान कार्यालयों की ईंट भट्टा पत्रावली की जाँच के दौरान देखा (अक्टूबर 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि विभाग ने दिसम्बर 2012 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान 88 प्रकरणों में संशोधित दर से रायल्टी का आरोपण नहीं किया और ईंट भट्टा मालिकों द्वारा ₹ 49.25 लाख रायल्टी संशोधित दर पर जमा करने के बजाय संशोधन–पूर्व की दर पर ₹ 32.83 लाख की रायल्टी जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप lkj.kh 6-4 में प्रदर्शित ₹ 16.42 लाख कम रायल्टी आरोपित हुयी।

lkj.kh 6-4
bZV cukus dh feV~Vh ij jk;YVh dk de vkjksi.k

(₹ esa)

d0l0	bdkbZ dk uke	bZV HkV~Vksa dh la[;k	o"kZ	ns; jk;YVh	vnk jk;YVh	jk;YVh dk vUrj	tek dh vof/k
1	जि0खा0का0 इलाहाबाद	65	2012–13	35,32,950	23,55,300	11,77,650	01/2013 से 02/2014
2	जि0खा0का0 हरदोई	23	2012–13	13,91,850	9,27,900	4,63,950	12/2012 से 09/2013
		88		49]24]800	32]83]200	16]41]600	

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013 से अप्रैल 2014 तक)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी को रायल्टी की वसूली करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

6-5-2 cky iVVs ij vifjgk;Z HkkVd vkj LVkEi 'kYd dk de vkjki.k

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 72(2) के अधीन बालू के पट्टे के लिये खनन क्षेत्र तीन वर्ष की अवधि के लिये अधिसूचित किया जा सकता है। खा0 खा0 अधिनियम की धारा 9–क (1) के अनुसार खनन पट्टे का प्रत्येक पट्टेदार पट्टे में सम्मिलित सभी क्षेत्र के लिये निर्धारित तिथियों में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दरों पर प्रति वर्ष सम्पूर्ण वर्ष के लिये अग्रिम रूप में अपरिहार्य भाटक अदा करेगा। बालू के पट्टे के लिये अपरिहार्य भाटक की दर संशोधित कर 2 नवम्बर 2012 से ₹ 16,000 प्रति एकड़ से ₹ 32,000 प्रति एकड़ हो गयी है।

हमने जिला खान कार्यालय, जालौन के बालू के पट्टे की पत्रावली की जाँच के दौरान पाया (अगस्त 2013) कि बालू का एक खनन पट्टा एक पट्टेदार के पक्ष में 18 अप्रैल 2013 को तीन वर्ष की अवधि (18 अप्रैल 2013 से 17 अप्रैल 2016 तक) के लिये प्रदान किया गया। जिला खान अधिकरी जालौन द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख में हमने देखा कि अपरिहार्य भाटक ₹ 16,000 प्रति एकड़ की दर से लिया जाना निश्चित किया गया था जबकि शासन द्वारा अपरिहार्य भाटक की दरों में संशोधन 2 नवम्बर 2012 से प्रभावी करते हुए ₹ 32,000 प्रति एकड़ की दर निर्धारित की गयी थी। अपरिहार्य भाटक को संशोधन–पूर्व की दर पर लिये जाने से विभाग उस पर लिया जाने योग्य ₹ 27.00 लाख के राजस्व से वंचित रहा और पट्टेदार को उस राशि का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। विवरण lkj.kh 6-5 में दिया गया है।

lkj.kh 6-5

cky iVVk ij vifjgk;Z HkkVd vkj LVkEi 'kYd dk de vkjki.k

			(₹ yk[k e)
fooj.k	foHkkx }kjk vkjki.kh; vifjgk;Z HkkVd@ LVkEi 'kYd	foHkkx }kjk vkjkfir vifjgk;Z HkkVd@ LVkEi 'kYd	vifjgk;Z HkkVd@ LVkEi 'kYd dk vUrj
प्रथम वर्ष	16.00	8.00	8.00
द्वितीय वर्ष	17.60	8.80	8.80
तृतीय वर्ष	19.36	9.68	9.68
स्टाम्प शुल्क	1.06	0.54	0.52
;kx	54-02	27-02	27-00

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 से फरवरी 2014 तक)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी जालौन को लेखापरीक्षा में उल्लिखित धनराशि की वसूली करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

6-5-3 jk;YVh dk de vkjki.k

हमने गौतम बुद्ध नगर और मिर्जापुर के जिला खान कार्यालयों की पट्टा पत्रावलियों, अनुज्ञा–पत्र पत्रावलियों और एम0एम0–11 निर्गम रजिस्टर की जाँच में पाया कि विभाग ने 2 नवम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक विभिन्न पट्टा धारकों और अनुज्ञा–पत्र धारको को 92,253.50 घन मीटर उप खनिजों के लिये एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत किया। विभाग ने 2 नवम्बर 2012 से विभिन्न पट्टा धारकों और अनुज्ञा–पत्र धारको को 110 प्रकरणों में एम0एम0–11 प्रपत्र निर्गत किये और संशोधित दर पर रायल्टी ₹ 50.61 लाख के बजाय संशोधन पूर्व की दर पर रायल्टी ₹ 33.65 लाख आरोपित किया। परिणामस्वरूप ₹ 16.96 लाख रायल्टी की कम वसूली हुयी। विवरण lkj.kh 6-6 में दिया गया है।

lkj.kh 6-6
jk;YVh dk de vkjksi.k

(₹ e)ss										
d0 l0	bdkbZ dk uke	izdj.kksa dh l0	[kfut dk uke	vof/k	[kfut dh ek=k	jk;YVh dh iwoZ nj	jk;YVh dh ubZ nj	vnk jk;YVh	ns; jk;YVh	jk;YVh eas deh
1.	जि0खा0का0 मिर्जापुर	58	गिट्टी	02.11.12 से 12.11.12	45,174.50	48	72	21,68,376	32,52,564	10,84,188
2.	जि0खा0का0 मिर्जापुर	13	पटिया	03.11.12 से 09.11.12	615.50	270	405	1,66,185	2,49,278	83,093
3.	जि0खा0का0 मिर्जापुर	26	बोल्डर	03.11.12 से 12.11.12	9,863.50	45	68	4,43,858	6,70,718	2,26,861
4.	जि0खा0का0 गौतम बुद्ध नगर	7	मिट्टी	07.11.12 से 31.12.12	16,800.00	9	14	1,51,200	2,35,200	84,000
5.	जि0खा0का0 गौतम बुद्ध नगर	6	सा0 बालू(1)	07.11.12 से 01.01.13	19,800.00	22	33	4,35,600	6,53,400	2,17,800
	;kx	110			92]253-50			33]65]219	50]61]160	16]95]941

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2014) कि पट्टेदारों के प्रकरणों में उल्लिखित धनराशि को वसूल करने के निर्देश जारी कर दिये गये है। खनन अनुज्ञापत्र के प्रकरणों में विभाग ने बताया कि अनुज्ञापत्र धारकों से रायल्टी अग्रिम में जमा करा ली गयी थी और अनुज्ञापत्र धारकों से रायल्टी का अन्तर वसूल नहीं किया जा सकता। हमने पाया कि एम0एम0–11 निर्गत करते समय दरें संशोधित हो चुकी थीं और सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों को बढ़ी हुयी दरों के कारण अन्तर की धनराशि वसूल कर लेनी चाहिये थी लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे।

6-6 bZV HkV~Vk ekfydksa ls jk;YVh] vuqKkI= Qhl vkSj C;kt dh olwyh u fd;k tkuk

दिसम्बर 2004 में जारी की गयी एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0एस0) में ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ₹ 2,000 प्रति ईंट भट्ठा प्रार्थना–पत्र शुल्क अदा कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद ईंट भट्ठा क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर रायल्टी की धनराशि एकमुश्त अदा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त ओ0टी0एस0एस0 में प्रावधान है कि यदि ईंट भट्ठा स्वामी रायल्टी की एकीकृत धनराशि अदा करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी ऐसे व्यवसाय को बन्द करा देगा और बकाया रायल्टी/अर्थदण्ड की वसूली के लिए ओ0टी0एस0एस0 के प्रस्तर 3 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त किराया, रायल्टी फीस या अन्य देय रकम पर ओ0टी0एस0एस0 के प्रस्तर 1(5) के अनुसार निर्धारित दर से ब्याज भी प्रभारित किया जा सकता है। 2 नवम्बर 2012 की अधिसूचना के अनुसार रायल्टी की नई दर ₹ 27 प्रति हजार ईंट है।

हमने 14 जिला खान कार्यालयों में ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (मई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) कि अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान 412 ईंट भटठे (श्रेणीं अ : 313, श्रेणीं बः 99) संचालित थे। यद्यपि यह योजना में निर्दिष्ट था फिर भी 2012–13 की अवधि के लिये इन ईंट भट्ठा स्वामियों ने कोई रायल्टी और अनुज्ञापत्र शुल्क नहीं अदा किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा न तो उनके व्यवसाय को रोकने की कार्यवाही शुरू नहीं की गयी और न ही देय रायल्टी ₹ 302.13 लाख, अनुज्ञापत्र शुल्क ₹ 8.24 लाख एवं ₹ 76.83 लाख ब्याज वसूल किया गया जैसाकि ifjf'k"V **XXIX** में दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी को बकायेदारों से रायल्टी, अनुज्ञापत्र शुल्क और ब्याज की वसूली करने के निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

6-7 jk;YVh ds foyfEcr Hkqxrku ij C;kt dk vukjksi.k

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (2) के अनुसार 30 दिवसों की नोटिस अवधि के बीत जाने पर किसी किराया, रायल्टी या सीमांकन शुल्क और राज्य सरकार के अन्य देयों के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित की जायेगी। शासन ने ईंट भट्टा मालिकों से रायल्टी और उस पर देय ब्याज के आरोपण के लिये समय समय पर एक मुश्त समाधान योजना जारी की है।

हमने चार जिला खान कार्यालयों में ईंट भट्ठा पंजिका और ईंट भट्ठा स्वामियों की पत्रावलियों में अनुरक्षित अन्य संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान 194 प्रकरणों में औसत 203 दिनों के विलम्ब से ₹ 93.96 लाख की रायल्टी जमा की गयी। विलम्ब से भुगतान का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध होने के बावजूद विभाग ने विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के आरोपण और वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज के ₹ 6.51 लाख की वसूली नहीं हुई जैसाकि lkj.kh 6-7 में दिया गया है।

lkj.kh 6-7

jk;YVh ds foyfEcr Hkqxrku ij C;kt dk vukjksi.k

(₹ esa)

Ø0la0	dk;kZy; dk uke	o"kZ	izdj.kksa dh la[;k	ns; vkSj tek /kujkf'k	vkjksi.kh; C;kt	foyEc dh vof/k fnuksa esa
1	जि0 खा0 का0 इलाहाबाद	2012–13	32	11,70,000	1,42,404	55 से 405
		2013–14	03	1,57,950	6,064	50 से 65
2	जि0 खा0 का0 बागपत	2010–11	23	12,55,500	71,064	1 से 259
		2011–12	62	34,37,000	1,89,323	4 से 302
3	जि0 खा0 का0 मथुरा	2012–13	19	9,80,300	89,575	84 से 205
4	जि0 खा0 का0 मिर्जापुर	2012–13	55	23,95,550	1,52,187	56 से 222
;ksx			194	93]96]300	6]50]617	1 ls 405

स्रोतः लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 और मई 2014 के मध्य) विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकारते हुए बताया (सितम्बर 2014) कि जिलाधिकारी के माध्यम से बकायेदारों से ब्याज की वसूली के लिये निर्देश दिये गये है।

6-8 bZV cukus dh feVVh ds vo/k gVku ij [kfut ewY; dk vukjksi.k

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 एवं 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा। खान एवं खनिज (विनिमय एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा–21 (1) और (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य के साथ किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम ₹ पचीस हजार तक के दण्ड या दोनों सजायें आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

हमने 11 जिला खान कार्यालयों[3] में ईंट भट्ठा स्वामियों की माँग, संग्रहण और अनुज्ञापन पंजिका की जाँच में पाया (जून 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य) कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान 1,454 ईंट भट्ठे (श्रेणी–अ : 1,304 एवं श्रेणी ब : 150) अनुज्ञापन स्वीकृति हेतु अपेक्षित शुल्क के साथ प्रार्थना पत्र और मिट्टी खनन हेतु खनन अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना संचालित थे। यद्यपि ईंट भट्ठा स्वामियों ने रायल्टी की समेकित राशि के रूप में ₹ 13.98 करोड़ का भुगतान किया परन्तु बिना खनन अनुज्ञापत्र के ईंट बनाने की मिट्टी का उत्खनन अवैध था। इस तथ्य के बावजूद कि खनन संक्रियायें की जा रही थी, विभाग ने उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार व्यवसाय को रोकने या अर्थदण्ड आरोपित करने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, पर्यावरण के हानिकारक प्रभाव के अतिरिक्त रायल्टी का पाँच गुना खनिज मूल्य ₹ 69.89 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 और मई 2014 के मध्य)। विभाग ने उत्तर दिया कि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) के प्रावधान उन प्रकरणों में लागू नहीं है जिनमें रायल्टी जमा करने के बाद खनन किया गया है। विभाग के उत्तर तथ्यों पर आधारित नही है क्योंकि खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 (5) के अधीन खनन मूल्य आरोपणीय है।

6-9 vifjgk;Z HkkVd o C;kt dk de olwy fd;k tkuk

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 58 (1) एवं (2) प्रावधानित करता है कि पट्टाधारक से किसी धनराशि की वसूली हेतु नोटिस दी जायेगी, और यदि नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर, पट्टाधारक ऐसी धनराशि का भुगतान करने मे असफल रहता है तो उसे भू–राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली का उपनियम (2) प्रावधानित करता है कि नोटिस की अवधि समाप्ति के बाद 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जा सकता है। पट्टा विलेख प्रपत्र (एम एम–6) की सामान्य शर्तो के अनुसार, पट्टा विलेख की किन्ही शर्त के उल्लघंन के प्रकरण मे पट्टा निरस्त और जमा प्रतिभूति राजसात की जा सकती है।

हमने तीन जि0खा0का0 के पट्टा धारको द्वारा प्रस्तुत पट्टा विवरणियों में पाया (अगस्त 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि 10 प्रकरणों में पट्टा धारको ने नियमो के अनुसार ₹ 201.22 लाख के स्थान पर ₹ 177.91 लाख का अपरिहार्य भाटक जमा किया। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने अपरिहार्य भाटक एवं रायल्टी के कम भुगतान/भुगतान को संज्ञान नहीं लिया और ब्याज के साथ उक्त की वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप अपरिहार्य भाटक के ₹ 23.31 लाख के साथ ₹ 6.27 के ब्याज की कम वसूली हुई जैसाकि Lkj.kh 6-8 में दिया गया है।

Lkj.kh 6-8

vifjgk;Z HkkVd o C;kt dk de olwy fd;k tkuk

(₹ e)

Ø0 l0	bdkbZ dk uke	iVVk /kkjdk dh l0	vof/k	ns; /kujkf'k	tek /kujkf'k	vo'k"k /kujkf'k	tek /kujkf'k ij ns; C;kt	C;kt dh ekeyk esa foyEcr fnu
1	जि0खा0का0 अलीगढ़	1	01.12.11 से 01.04.13	7,21,416	5,15,298	2,06,118	45,174	7 से 355 दिन
2	जि0खा0का0 जालौन	5	17.02.09 से 24.04.13	1,82,80,380	1,69,28,880	13,51,500	5,81,320	70 से 880 दिन
3	जि0खा0का0 मिर्जापुर	4	01.07.09 से 31.10.13	11,20,000	3,46,901	7,73,099	0	0
;ksx		10		2]01]21]796	1]77]91]079	23]30]717	6]26]494	

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणाम से प्राप्त सूचना के अनुसार।

[3] बागपत, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, हरदोई, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रामपुर एवं सहारनपुर।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य)। विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2014) कि और कहा कि धनराशि वसूलने के निर्देश कलेक्टर के माध्यम से जारी किये जा चुके हैं।

6-10 voS/k [kuu

6-10-1 voS/k [kuu ij jk;YVh] [kfut ewY; ,oa vFkZn.M dk u@de vkjksi.k

उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के नियम 3 एवं 57 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, इन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन अनुज्ञापत्र या खनन पट्टे में किये गये निर्बन्धनों और शर्तो के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में कोई खनन क्रिया संचालित नहीं करेगा। खान एवं खनिज (विनिमय एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा–21 (1) एवं (5) प्रावधानित करता है कि किसी अवैध खनन के लिये उस अवधि के लिए जब ऐसे व्यक्ति द्वारा विधि सम्मत प्राधिकार के बिना भूमि अधिग्रहीत की गयी हो, खनिज मूल्य, किराया, रायल्टी अथवा कर, जैसा भी प्रकरण हो, भी देय होगा। आगे उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली का नियम 57 यथा संशोधित 1 दिसम्बर 2011 आपराधिक कार्यवाही जिसमें छः माह तक बढ़ायी जा सकने वाली साधारण सजा या अधिकतम पच्चीस हजार रूपये तक के अर्थदण्ड या दोनों आकृष्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रावधान करता है।

हमनें तेरह जिला खान कार्यालयों[4] की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओ में जाँच में पाया (मई 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि अक्टूबर 2008 एवं सितम्बर 2013 के मध्य 130 प्रकरणों में 7.90 लाख घनमीटर के उप खनिज को बिना विधि सम्मत प्राधिकार के उत्खनित एवं परिवहित किया गया। बिना खनन अनुज्ञा/पट्टा के खनिजों की खुदाई न केवल अवैध थी बल्कि पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव डाला। लेखापरीक्षा मे पाया कि अवैध खनन के ये प्रकरण विभाग के संज्ञान में थे तथापि एक से छ वर्ष व्यतीत होने के बावजूद विभाग ने दूसरी नोटिस, माँगपत्र और वसूली प्रमाणपत्र निर्गत करने जैसे कोई प्रयास नहीं किये थे। विभाग ने अवैध खनन की गयी खनिज की निश्चित दर से रायल्टी एवं खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड के आरोपण उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप रायल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड ₹ 15.93 करोड़ का न/कम आरोपण हुआ।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ है (दिसम्बर 2014)।

6-10-2 olwyh izek.k i= fuxZr djus esa vfu;ferrk;sa

हमने जिला खान कार्यालय उन्नाव की अवैध खनन पत्रावलियो की जाँच मे पाया (जुलाई 2013) कि अप्रैल 2010 से जुलाई 2012 के मध्य कुल छः प्रकरणो मे 98,847 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन बिना किसी विधि सम्मत प्राधिकार के किया गया। मिट्टी के इस अवैध खनन पर रायल्टी, मिट्टी की कीमत एवं अर्थदण्ड के आरोपण की धनराशि ₹ 54.88 लाख को आकर्षित किया (रायल्टी का ₹ 8.90 लाख, मिट्टी की कीमत का ₹ 44.48 एवं अर्थदण्ड ₹ 1.50 लाख)। लेकिन विभाग ने ₹ 54.88 लाख के स्थान पर ₹ 45.98 लाख का वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया। परिणास्वरुप ₹ 8.90 लाख का रायल्टी, मिट्टी की कीमत एवं अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

[4] अलीगढ़, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, जालौन, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि खनिज मूल्य हमेशा खनिज की रायल्टी का पॉच गुणा नहीं होता। विभाग का उत्तर तथ्यो पर आधारित नहीं है क्योकि उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली 1963 के नियम 21(2) के अनुसार खनिज का मूल्य कम से कम रायल्टी का पॉच गुणा निश्चित है।

6-10-3 [kfut eY; dh vfu;fer NV

हमने जिला खान कार्यालय गाजियाबाद की अवैध खनन पत्रावलियों एवं पंजिकाओ की जाँच मे पाया (जून 2013) कि नवम्बर 2011 से जनवरी 2012 के मध्य एक अनुज्ञा धारक द्वारा 48,930 घनमीटर सामान्य मिट्टी का खनन बिना विधि सम्मत प्राधिकार के किया गया। यह अवैध खनन ₹ 4.40 लाख की रायल्टी, ₹ 22.02 लाख का खनिज मूल्य और ₹ 25,000 का अर्थदण्ड की देयता को आकर्षित करता था तथा इसका आरोपण जिलाधिकारी, गाजियाबाद और इसके पश्चात आयुक्त मेरठ द्वारा भी किया गया।

पट्टा धारक द्वारा योजित समीक्षा याचिका का निस्तारण करते समय शासन ने माना कि अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिज का खनन किया गया था। इसके बावजूद खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 22.02 लाख का दावा छोड़ दिया गया और पट्टा धारक को अवैध खनन के लिये रायल्टी और अर्थदण्ड जमा करने हेतु आदेशित किया गया। यह खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के प्रावधानो का उल्लंघन था।

मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के प्रावधानो के अनुसार खनिज मूल्य की वसूली करना आवश्यक नहीं है और इसीलिये शासन ने तद्नुसार दावा छोड़ दिया। विभाग का उत्तर तथ्यो पर आधारित नहीं है क्योकि उक्त अधिनियम की धारा 21(5) स्पष्टतया निर्दिष्ट करता है कि रायल्टी और अर्थदण्ड के साथ साथ खनिज मूल्य भी वसूलनीय है।

6-11 'kklukns'kk dk vf/kfu;e@fu;ek d vu:i u gkuk

अधिनियम की धारा 4 (1—क) एवम् धारा 21 (1) से (5) के साथ पठित उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963 का नियम 70(1) में प्रावधान है कि खनन पट्टा या अनुज्ञा का धारक या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपखनिज को किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पास फार्म एम0एम0 11 में निर्गत करें। नियम 70 (2) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी उपखनिज को उपनियम (2) के अन्तर्गत जारी फार्म एम0एम0 11 के बिना, (रेलवे को छोड़कर) किसी वाहन, पशु या परिवहन के अन्य साधन से प्रदेश के अन्दर नहीं ले जायेगा। नियम 70(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इन नियम के किसी प्रावधान का प्रतिषेध करता हुआ पाया जाता है, तो दोष सिद्धि पर, कारावास जिसे छ माह तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदण्ड ₹ 25,000/— जो कि शासनादेश संख्या 7338/86—2011—183/2011 लखनऊ दिनांक 1 दिसम्बर 2011 द्वारा संशोधित किया गया, या दोनों दण्ड का भागी होगा। शासनादेश संख्या 594/77—5—2001—2002/77 टी0सी0—1 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2001 और शासनादेश संख्या 4951(1)/77—5—/2006—506/05 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर 2006 में अधिशासी अधिकारी को, ऐसे प्रकरणों में जहाँ कार्यदायी संस्था को उप खनिजो की आपूर्ति बिना एम0एम0 11 के की गयी है, रायल्टी वसूलने या रायल्टी भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

हमने दस जिला खान कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया (जुलाई 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि कार्यदायी संस्थाओं ने 221 निर्माण कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करवाया। इन सभी प्रकरणों में ठेकेदारों ने उनके द्वारा प्रयुक्त उपखनिजों के बिल के साथ एम0एम0 11 फार्म प्रस्तुत नहीं किया, इसलिये कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेश दिनांक 2 फरवरी 2001 व शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 2006 के अनुसार उनके बिल से रायल्टी की कटौती कर ली और रायल्टी के बदले ₹ 2.67 करोड़ जमा किया।

हमने देखा कि उक्त शासनादेश खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप नहीं थे क्योंकि इन शासनादेशों के अनुसार कार्यदायी संस्थायें, बिना एम0 एम0 11 के आपूर्ति किये गये खनिजों के मामलों में रायल्टी या रायल्टी के साक्ष्य के रूप में कोषागार चालान की प्रति प्राप्त करने के लिये अधिकृत थे। खान अधिनियम की धारा 21(5) और 21(1) के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली तथा अर्थदण्ड का आरोपण अनिवार्य है। चूँकि खनिज मूल्य की वसूली एवम् अर्थदण्ड के आरोपण के बारे में शासनादेश चुप है, अतः ये आरोपित/वसूल नहीं किये जा रहे हैं। दृष्टान्त के रुप में 10 जिला खान कार्यालयों के प्रस्तुत प्रकरण में ही अवैध परिवहन के प्रकरण में ₹ 13.37 करोड़ खनिज मूल्य के अतिरिक्त ₹ 55.25 लाख अर्थदण्ड आरोपणीय था, जैसा कि **ifjf'k"V XXX** दर्शाया गया है।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि कार्यदायी संस्थाओं ने शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की है। खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशो की असंगतता की हमारी विशेष आपत्ति पर विभाग ने उत्तर नहीं दिया। कथित शासनादेश खनिज मूल्य व अर्थदण्ड की वसूली के प्रावधान के बिना निर्गत किये गये, जिस पर खान अधिनियम की धारा 21 का मुख्य जोर है। उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के प्रावधान कि बिना वैध एम0 एम0 11 के खनिजों के परिवहन करने पर व्यक्ति पर शास्ति और/या दण्ड आरोपित किया जायेगा, को शासनादेश में ध्यान नहीं दिया गया। खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के साथ शासनादेशों की असंगतता ने एक कमी छोड़ दी जिसके द्वारा उपखनिजों के अवैध परिवहन एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनिजों के अवैध खनन को स्वीकृति प्रदान की गयी क्योंकि खनिजों के इस अवैध परिवहन में कोई अवरोध नहीं है।

हम संस्तुति करते है कि शासन इन शासनादेशों को, खान अधिनियम और उ0प्र0 उ0ख0प0 नियमावली के अनुरूप करने हेतु संशोधित करें।

¼c½ euksjatu dj foHkkx

6-12 dj iz'kklu

उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली होती है। मनोरंजन में प्रवेश के लिये अदायगी यह समय समय पर निर्धारित दर पर यह आरोपणीय होता है।

मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 द्वारा शासन स्तर पर नीतियों का निर्धारण, अनुश्रवण व नियंत्रण किया जाता है। आयुक्त मनोरंजन कर उ0प्र0 लखनऊ पर मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली के समग्र नियंत्रण की जिम्मेदारी है। जिसमें सहयोग एक अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (1), उपायुक्त (3) एवं सहायक आयुक्त (1) द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी नियंत्रण अधिकारी है, जिनका सहयोग तीन उपायुक्त मनोरंजन कर, 13 सहायक आयुक्त मनोरंजन कर एवं 59 जिला मनोरंजन कर अधिकारी मनोरंजन कर निरीक्षकों के माध्यम से करते हैं।

6-13 ys[kkijh{kk d ifj.kke

विभाग ने वर्ष 2013–14 मे ₹ 469.78 करोड़ के राजस्व की वसूली की। वर्ष 2013–14 मे मनोरंजन कर विभाग से सम्बंधित 19 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 1.01 करोड़ के कर के अनारोपण/कम–आरोपण एवं ब्याज एवं अन्य अनियमितताओं के 57 प्रकरण प्रकाश में आये जैसाकि lkj.kh 6-9 में दर्शाये गयें है।

lkj.kh 6-9

ys[kkijh{kk d ifj.kke

			¼₹ djksM+ esa½
Ø0l0	J.kh	ekeyks dh la[;k	/kujkf'k
1.	ब्याज का अनारोपण	2	0.01
2.	कर की वसूली न किया जाना	10	0.22
3	अन्य अनियमिततायें	45	0.78
;ksx		57	1-01

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें

वर्ष के दौरान विभाग ने 22 मामलों में ₹ 13.82 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से दो मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 84,035 को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों के थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 22 प्रकरणों में ₹ 11.59 लाख की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें दो मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 1.39 लाख वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें। अवशेष प्रकरणों में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुछ उदाहारणात्मक प्रकरणों में निहित धनराशि ₹ 7.22 लाख का वर्णन निम्न प्रस्तरों में किया गया है।

6-14 ys[kkijh{kk vkifRr;k

मनोरंजन कर कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में लाइसेंस फीस की वसूली न किया जाना, अनुरक्षण शुल्क का जमा न किया जाना, राजस्व का अनारोपण आदि के प्रकरण प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा किए गये नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की अधिकतर त्रुटियां प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रृटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6-15 vuKkiu 'kqYd dh olwyh u fd;k tkuk

उ0प्र0 सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 (1956 का उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3) की धारा–4, उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 1988 के नियम–12, 16 व 18 एवं उ0प्र0 सिनेमा (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम 18(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राधिकारी निम्न कालम–I में बताये गये जनसंख्या वाले स्थानीय क्षेत्र में ₹ 25,000 की प्रतिभूति के अतिरिक्त कालम II या III के में निर्दिष्ट दर पर जैसाकि lkj.kh 6-10 में दिया गया है, एक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिये, शुल्क के भुगतान पर, एक बार में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि से अनधिक के लिये वीडियो लाइब्रेरी/टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी (टेलीविजन सिग्नल रिसीवर की एजेन्सी का तात्पर्य ऐसे किसी मनोरंजन स्थल, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जहाँ टेलीविजन सिग्नल रिसीवर के बेचने, किराये पर देने, वितरण करने या विनिमय करने या किसी रुप में परिचालन का व्यवसाय होता हो) हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकृत कर सकता है।

उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 की धारा–24 के अनुसार कोई भी व्यक्ति धारा–5 का उल्लघंन करते हुए मनोंरजन करता है तो ₹ 5,000 से अनधिक अर्थदण्ड के साथ साधारण कारावास जिसको तीन माह तक बढ़ाया जा सकता हैं अथवा बिना उसके दण्डनीय होगा ।

lkj.kh 6-10
vuqKkiu 'kqYd dh nj

dkye&A ¼LFkkuh; {ks=½	dkye &AA ¼ohfM;ks ykbczsjh gsrq vuqKkiu 'kqYd½	dkye &AAA ¼Vsyhfotu flXuy fjlhoj ,tsUlh gsrq vuqKkiu 'kqYd½
(क) नगर निगम नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा	पाँच हजार रूपये	दस हजार रूपये
(ख) नगर परिषद	तीन हजार रूपये	छः हजार पाँच सौ रूपये
(ग) टाउन एरिया/अन्य स्थान	एक हजार पाँच सौ रूपये	तीन हजार रूपये

स्रोत : उ0प्र0 सिनेमा (विडियो के माध्यम से प्रदर्शन का विनियमन) नियमावली 2011 में उपलब्ध सूचना।

हमने मनोरंजन कर कार्यालय गोण्डा, हरदोई व मैनपुरी के अनुज्ञापन शुल्क पंजिका की जाँच के दौरान पाया (जून 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य) कि अप्रैल 2012 एवं मार्च 2014 की अवधि के मध्य सम्बन्धित जिलों में संचालित 49 टेलीविजन सिग्नल रिसीवर एजेंसियों से नियमानुसार कोई भी अनुज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं की गयी थी। इस प्रकार शासन को ₹ 4.02 लाख के अनुज्ञापन शुल्क, ₹ 3.20 लाख के अर्थदण्ड एवं ₹ 12.50 लाख प्रतिभूति के प्राप्ति से वंचित होना पड़ा जैसाकि lkj.kh 6-11 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 6-11
vuqKkiu 'kqYd dh olwyh u fd;k tkuk

(₹ esa)

Øe0 la0	ftys dk uke	bdkbZ dk uke	vof/k	Vsyhfotu flXuy fjlhoj ,Ututh dh la0	izfrHkwfr dh /kujkf'k	vuqKkih dk {ks= dk uke tgkW fLFkr gS	vuqKkiu 'kqYd dh nj	ns; vuqKkiu 'kqYd	twu 2014 rd foyfEcr ekg dh la0	vkjksi.kh; vFkZn.M dh /kujkf'k	dqy /kujkf'k
1.	गोण्डा	जिला मनोरंजन कर कार्यालय	2012–13	13	3,25,000	नगर पालिका	6,500	84,500	27	65,000	1,49,500
			2013–14			नगर पालिका	6,500	84,500	15	65,000	1,49,500
			2012–13	2	50,000	अन्य क्षेत्र	3,000	6,000	27	10,000	16,000
			2013–14			अन्य क्षेत्र	3,000	6,000	15	10,000	16,000
2.	हरदोई	जिला मनोरंजन कर कार्यालय	2013–14	9	2,25,000	नगर पालिका	6,500	58,500	15	45,000	1,03,500
3.	मैनपुरी	जिला मनोरंजन कर कार्यालय	2012–13	25	6,25,000	नगर पालिका	6,500	1,62,500	27	1,25,000	2,87,500
		;ksx		49	12]25]000			4]02]000		3]20]000	7]22]000

स्रोत : लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013 से जून 2014)। विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर–2014) कि गोण्डा के प्रकरण में वसूली प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये तथा ₹ 48,500 की वसूली की गयी ।

6-16 ukfVl kas dk detksj vuqJo.k

6-16-1 vuqj{k.k izHkkj dk tek u fd;k tkuk

उ0प्र0 मनोरंजन कर एवं दावंकर अधिनियम 1979 की धारा 3ए(1) के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों को, सिनेमा हाल में प्रवेश करने वाले दर्शकों से क्रमशः ₹ 3/– प्रति सीट रखरखाव प्रभार के अतिरिक्त 60 पैसा वातानुकूलन एवं 25 पैसा वायुप्रशीतन सुविधा हेतु अतिरिक्त प्रभार के रूप में संग्रह करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। यह सुविधा उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर (संशोधन) अधिसूचना 2009 अधिनियम द्वारा 16 जून 2009 से वापस ले ली गई। अगर इस तरह वसूल की गयी धनराशि सिनेमा परिसर के रखरखाव में पूर्णरूपेण व्यय न की गयी हो, तो इस धनराशि को मनोरंजन के प्रवेश हेतु अतिरिक्त भुगतान मान लिया जाय और उस पर मनोरंजन कर देय होगा। विफलता की स्थिति में प्रथम तीन माह हेतु डेढ़ प्रतिशत एवं इसके पश्चात दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सिनेमा हाल मालिकों से वसूलनीय होगा।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी बलरामपुर कार्यालय के सिनेमा अनुरक्षण प्रभार पंजिका की जाँच में पाया गया (जुलाई 2013) कि चार सिनेमा हाल मालिको ने एक अप्रैल 2009 से 15 जून 2009 के मध्य ₹ 2.72 लाख अनुरक्षण प्रभार के रूप में वसूल किये थे, किन्तु किये गये व्यय का विवरण जमा नहीं किया गया था। जि0म0क0अ0 ने दो

वर्ष पाँच महीने की विलम्बित अवधि के पश्चात् 26 सितम्बर 2012 को नोटिस निर्गत की तथा देय कर एवं ब्याज के जमा हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया। लेकिन पुनः नौ माह व्यतीत होने के पश्चात् न तो बकायेदारो ने उक्त धनराशि जमा की और न ही विभाग ने धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया। फलस्वरूप शासकीय खाते में ₹ 5.94 लाख रूपये जमा नहीं किये जा सके थे जैसा कि lkj.kh 6-12 में दिया है ।

lkj.kh 6-12
vuqj{k.k iqHkkj dk tek u fd;k tkuk

¼₹ e½						
d0 l0	vuKkih dk uke	vuqj{k.k 'kqYd dh iklr /kujkf'k ¼01-04-2009 ls 15-06-2009½	foyfEcr vof/k ¼tqykbZ 2009 ls twu 2014½	nš; C;kt dk ifr'kr ¼iFke rhu ekg 1-5 ifr'kr o vkxs 2 ifr'kr½	nš; C;kt	dqy nš; /kujkf'k
1	मन मंदिर टाकीज	91,719	60	118.5	1,08,687	2,00,406
2	कुँवर टाकीज	46,980	60	118.5	55,671	1,02,651
3	प्रतिभा टाकीज	57,472	60	118.5	68,104	1,25,576
4	टीटू सिनेमा	75,642	60	118.5	89,636	1,65,278
	;ksx	2]71]813			3]22]098	5]93]911

स्रोत : लेखापरीक्षा में उपलब्ध सूचना के आधार पर

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं जून 2014), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

6-16-2 vuqnku Ldhe dh 'krksZ ds mYYka?ku ij jktLo dh olwyh u fd;k tkuk

उ0प्र0 मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 की धारा 3(1)के अन्तर्गत, सिनेमा हाल मालिको को प्रवेश हेतु भुगतान करने वाले व्यक्ति से मनोरंजन कर निर्धारित तरीके से संग्रहित कर शासकीय खाते में जमा करने हेतु अधिकृत किया गया था। विफलता की स्थिति में प्रथम तीन माह हेतु डेढ़ प्रतिशत एवं इसके पश्चात दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज सिनेमा हाल मालिकों से वसूलनीय होगा।

11 अगस्त 2000 के शासनादेश सं0 1409/11–का0नी0–6–2000–तीस–ई0बी0–6(15)/85 के तहत् प्रदेश सरकार द्वारा नये सिनेमा हाल के लिये शुरू होने के दिनांक से प्रथम पाँच वर्षों में मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत अनुदान हेतु प्रोत्साहन नीति लायी गयी थी। शासनादेश की शर्त सं0 11 के अनुसार अगर सिनेमा मालिक पाँच वर्षों हेतु मनोरंजन कर अनुदान सुविधा को प्राप्त करता है, तो सम्बन्धित सिनेमा मालिक आगे पाँच वर्षों के लिये सिनेमा के संचालन हेतु बाध्य होगा, विफलता की स्थिति में पहले से ही अनुदानित कर, देय के दिनांक से भू–राजस्व के बकाये की भॉंति वसूलनीय होगा।

हमने कार्यालय जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मैनपुरी के सिनेमा के लाइसेंस पत्रावली की जाँच के दौरान देखा (जून 2013) कि गंगा पैलेस सिनेमा हाल द्वारा 16 अक्टूबर 2005 से 15 सितम्बर 2010 के मध्य में ₹ 3.99 लाख मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त करते हुए सिनेमा के संचालन किया गया था। उपरोक्त छूट अवधि के पश्चात् कथित् शासनादेश की शर्त सं0 11 का उल्लंघन करते हुये 27 अक्टूबर 2011 से सिनेमा हाल का संचालन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उपर्युक्त शर्त के अनुसार तथा विभाग एवं सिनेमा मालिक के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था, कि छूट की धनराशि आगे के पाँच वर्षों में सिनेमा के संचालन न होने के प्रकरण में कोषागार में जमा की जायेगी, लेकिन ₹ 10.60 लाख की धनराशि अभी तक कोषागार में जमा नहीं की गयी थी जैसा कि ifjf'k"V **XXXI** में दर्शाया गया है। विभाग द्वारा 19 माह व्यतीत होने के पश्चात् उक्त धनराशि की वसूली हेतु मात्र एक नोटिस निर्गत की गयी थी। विभाग द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई भी वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया था।

विभाग द्वारा दोनों प्रकरणों में एक साल सात माह से दो वर्ष पाँच माह व्यतीत होने के पश्चात् केवल एक नोटिस निर्गत किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग द्वारा तीन से पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी द्वितीय नोटिस, मॉगपत्र एवं वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने जैसे कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जिला स्तर के साथ–साथ मुख्यालय स्तर पर भी कमजोर अनुश्रवण रहा।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 एवं जून 2014), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014) ।

6-17 olwyh izek.k&i=ksa dk tkjh u fd;k tkuk

मनोरंजन एवं दावंकर अधिनियम 1979 (यथा संशोधित) की धारा 34 के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कर के बकाये के कारण कोई भी देय धनराशि तत्समय किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार के पास उपलब्ध वसूली के किसी अन्य तरीके पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूलनीय होगा। परन्तु ऐसे वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही थी।

हमने जिला मनोरंजन कर कार्यालय बलरामपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, ललितपुर, महाराजगंज एवं मैनपुरी के बकाये की पत्रावलियों की जाँच में पाया (अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) कि विभाग द्वारा 24 प्रकरणों में बकायेदारों से अप्रैल 2012 से फरवरी 2014 की अवधि का देय मनोरंजन कर ₹ 5.69 लाख की वसूली होनी थी, जिसको विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया था। किसी भी कर का बकाया भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूलनीय होता है, जिसके लिये वसूली प्रमाण–पत्र (आर0सी0) निर्गत किये जाने चाहिये था परन्तु अभिलेखों में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने को कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जून 2013 एवं जून 2014)। विभाग ने 10 प्रकरणों का उत्तर दिया (नवम्बर 2014) और ₹ 4.51 लाख की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 4.02 लाख वसूल किया।

6-18 vkUrfjd ys[kkijh{kk

आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों का नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भली भांति कार्य कर रहा हैं।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना 1974 में की गयी थी। इसको वित्त नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आ0ले0प0इ0 में एक वित्त नियंत्रक एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं एक लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक वित्त नियंत्रक एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत है। आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजना का जैसेकि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं कमी का विवरण lkj.kh 6-13 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 6-13

vkUrfjd ys[kkijh{kk ¼ys[kkijh{kk vk;kstuk½

o"kZ	vkUrfjd ys[kkijh{kk gsrq miyC/k dqy bdkb;ksa dh la[;k	vkUrfjd ys[kkijh{kk gsrq vk;ksftr bdkb;ksa dh la[;k	o"kZ ds nkSjku ys[kk ijhf{kr bdkb;ksa dh la[;k	deh	deh dh izfr'krrk
2009–10	73	37	16	21	56.76
2010–11	73	27	22	5	18.52
2011–12	76	35	32	3	8.57
2012–13	76	36	27	9	25.00
2013–14	76	32	20	12	37.50

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपरोक्त यह दर्शाता है, कि आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई की लेखापरीक्षा आयोजना यर्थाथवादी नहीं है, जैसे स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ में कमी नहीं थी। उपरोक्त दर्शाता है कि वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान योजनाबद्व इकाईयों एवं लेखापरीक्षित इकाइयों के मध्य 8.57 प्रतिशत से 56.76 प्रतिशत के मध्य कमियाँ हैं। विभाग द्वारा कमियों के सम्बंध में कोई भी कारण नहीं बताया गया।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सम्पादित लेखापरीक्षा और उठाई गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि और वर्ष के दौरान निस्तारण lkj.kh 6-14 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 6-14

vkUrfjd ys[kkijh{kk bdkbZ ¼ys[kkijh{kk vkifRr;k½

								¼₹ yk[k esa½
Okk"kZ	ikjfEHkd vo'ks"k		Okk"kZ ds nkSjku of}		Okk"kZ ds nkSjku fuLrkj.k		vfUre vo'ks"k	
	iSdj.kks dh la0	lfUufgr /kujkf'k	iSdj.kks dh la0	lfUufgr /kujkf'k	iSdj.kks dh la0	lfUufgr /kujkf'k	iSdj.kks dh la0	lfUufgr /kujkf'k
2009–10	435	843.44	66	12.91	26	46.40	475	809.95
2010–11	475	809.95	78	67.52	46	36.30	507	841.17
2011–12	507	841.17	104	92.16	62	18.17	549	915.16
2012–13	549	915.16	104	50.07	61	58.00	592	907.23
2013–14	592	907.23	62	105.62	21	17.77	633	995.08

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त की गयी सूचना।

विभाग ने वर्ष 2013–14 के दोरान आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई के 21 प्रकरणों में ₹ 17.77 लाख की वसूली की गयी थी। यह प्रदर्शित करता है कि आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा उठाये गये प्रकरणों के सापेक्ष विभाग द्वारा किया गया अनुपालन बहुत कम है।

ge laLrqfr djrs gSa fd vkUrfjd ys[kkijh{kk 'kk[kk dks etcwr fd;k tk; vkSj okf"kZd ys[kkijh{kk vk;kstuk dks rkfdZd :Ik ls rS;kj fd;k tk;A vkUrfjd ys[kkijh{kk 'kk[kk }kjk mBk;s x;s iSdj.kks dh Rofjr olwyh gsrq foHkkx }kjk lefpr dk;Zokgh dh tk;A

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
23 फरवरी 2015

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कांत शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
26 फरवरी 2015